



मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

वृत्तिकर का समय पर भुगतान कर मध्यप्रदेश के विकास में योगदान करें

वित्तीय वर्ष 2018-19
के वृत्तिकर का भुगतान
30 सितम्बर 2018 तक
किया जाना सुनिश्चित करें।

वृत्तिकर अधिनियम में नवीन संशोधन के बाद
वृत्तिकर चुकाने का दायित्व निम्नानुसार है:-

**यदि आप वेतनभोगी हैं
और आपका वार्षिक वेतन -**

2.25 लाख तक	कुछ नहीं
2.25 लाख से अधिक किन्तु 3.00 लाख तक	₹ 1500
3.00 लाख से अधिक किन्तु 4.00 लाख तक	₹ 2000
4.00 लाख से अधिक पर	₹ 2500

**यदि आप वेट अथवा जीएसटी के अंतर्गत
रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं हैं-**

20.00 लाख तक टर्नओवर पर	कुछ नहीं
20.00 लाख से अधिक टर्नओवर पर	₹ 2500

नोट:- नवीन, मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम 2018 अनुसार समय पर वृत्तिकर जमा कर ब्याज एवं पेनाल्टी से बचें।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय टोल-फ्री नंबर : **18002330440**
हेल्पलाइन नंबर : **0731-2434005** पर संपर्क कर सकते हैं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2018—आषाढ़ 27, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2018

क्र. 11833-237-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 जुलाई, 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१८

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक १६ जुलाई २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१८ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में, खण्ड (झ क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(झ क) “सेवा” का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) में उसके लिए समनुदेशित है;”.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (३) और (४) का लोप किया जाए.

धारा २२ क का अन्तःस्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति.

“२२क. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों और कर की दरों को संशोधित कर सकेगी और उस पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, राजपत्र में ऐसी पूर्व सूचना किए बिना जारी नहीं की जाएगी जैसी कि राज्य सरकार, ऐसी अधिसूचना जारी करने के इसके आशय के विषय में युक्तियुक्त समझे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा २४-क के उपबंध वहां ठीक वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि वे किसी नियम को लागू होते.”.

अनुसूची का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ से १० और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“१. नियोजन में के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी,—

(क) २,२५,००० रुपए से अधिक नहीं है

कुछ नहीं

(ख) २,२५,००० रुपए से अधिक किन्तु ३,००,००० रुपए से अधिक नहीं है.

१५०० रुपए

(१२५ रुपए प्रतिमाह).

- | | |
|--|--|
| (ग) ३,००,००० रुपए से अधिक किन्तु ४,००,००० रुपए से अधिक नहीं है | २००० रुपए
(ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह १६६ रुपए और बारहवें माह के लिए १७४ रुपए). |
| (घ) ४,००,००० रुपए से अधिक है | २५०० रुपए
(ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह २०८ रुपए और बारहवें माह के लिए २१२ रुपए). |

स्पष्टीकरण.—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये जहां कोई व्यक्ति किसी वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियोजन में नहीं रहता है वहां उस कालावधि के लिये कर के भुगतान का दायित्व अनुपाततः कम कर दिया जाएगा.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका वार्षिक टर्न ओवर :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| (क) २० लाख रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं |
| (ख) २० लाख रुपए से अधिक है | २५०० रुपए |

३. कोई व्यापारी या व्यक्ति जो माल या सेवा की बिक्री या प्रदाय में लगा हुआ है परंतु जो या तो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, जिसका वार्षिक ग्रास टर्न ओवर या प्राप्ति :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| (क) २० लाख रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं |
| (ख) २० लाख रुपए से अधिक है | २५०० रुपए''. |

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2018

क्र. 11833-237-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 20 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT**NO. 20 OF 2018****THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018**

[Received the assent of the Governor on the 16th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th July, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-ninth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.
- (2) It shall be deemed to have come into force from 1st April, 2018.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), for clause (ia), the following clause shall be substituted, namely:—

“(ia) “Service” shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017);”.

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of principal Act, sub-sections (3) and (4) shall be omitted.

Insertion of Section 22A.

4. After Section 22 of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

“22A.(1) The State Government may, by notification, amend the items and rates of tax specified in Schedule and thereupon the Schedule shall stand amended accordingly:

Power of State Government to amend Schedule.

Provided that no notification shall be issued under this sub-section without giving in the Gazette such previous notice as the State Government may consider reasonable of its intention to issue such notification.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid on the table of the Legislative Assembly and the provisions of Section 24-A of the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958) shall apply thereto as they apply to a rule.”.

Amendment of the Schedule.

5. In the Schedule to the principal Act, for serial numbers 1 to 10 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“1. Persons in employment whose annual salary or wages,—

(a) does not exceed rupees 2,25,000	Nil
(b) exceed rupees 2,25,000 but does not exceed rupees 3,00,000	Rupees 1500 (Rupees 125 per month)
(c) exceed rupees 3,00,000 but does not exceed rupees 4,00,000	Rupees 2000 (Rupees 166 per month for eleven months and rupees 174 for twelfth month)

(d) exceed rupees 4,00,000

Rupees 2500
(Rupees 208 per
month for eleven
months and rupees
212 for twelfth
month)

Explanation.- For the purpose of this entry where a person ceases to be in employment before the end of any year liability to pay the tax for that period shall be proportionately reduced.

2. Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and/or person registered under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) whose annual turnover :

(a) does not exceed rupees 20 lacs.

Nil

(b) exceed rupees 20 lacs

Rupees 2500

3. A dealer or person engaged in the sale or supply of goods or service but not registered either under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) or the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), whose annual gross turnover or receipt :

(a) does not exceed rupees 20 lacs

Nil

(b) exceed rupees 20 lacs

Rupees 2500".